न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–196/2024

बृजेश प्रसाद उर्फ ईश्वरी प्रसाद साह.....वादी

बनाम

साहेब साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
31.01.2025	वादी की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख उपस्थिति हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 06.12.2024 आवेदन अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रस्तुत वाद वादी ने अपने हकियत की घोषणा, दखल कब्जा की संपुष्टि एवं स्थायी निषेधाज्ञा के साथ अन्य अनुतोषों हेतु लाया है। प्रतिवादीगण नजायज तरीके से वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल करना चाहते है एवं इलाका के अपराधियों के साथ मिलकर वादग्रस्त भूमि की बिक्री करने की धमकी देने लगे तो वादी ने वाद दाखिल किया तथा साथ ही साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन देकर वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में किसी तरह का हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने से वाद के अंतिम निपटारा तक प्रतिवादीगण को रोक देने हेतु दिये है। प्रतिवादीगण को वादी द्वारा दाखिल वाद किसी तरह से मालुम हो गया है जिससे प्रतिवादीगण सक्रिय हो गये है तथा वादग्रस्त भूमि के निस्वत हस्तांतरण विलेख निष्पादित कर सकते है। वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 22.10.2024 के आलोक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कारण–पृच्छा जारी करते हुए एवं प्रतिवादीगण के उपस्थिति तक यथास्थिति का आदेश पारित करना आवश्यक है ताकि वादग्रस्त भूमि को अक्षुण रखते हुए वादी को गुणात्मक मोकदमाबाजी में उलझाने से रोका जा सके। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 22.10.2024 पर कारण–पृच्छा जारी करते हुए उपस्थिति के तिथि तक किसी तहर का हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने के निस्वत यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करने की कृपा की जाय। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि	

<u>न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–196/2024</u>

बृजेश प्रसाद उर्फ ईश्वरी प्रसाद साह.....वादी

बनाम

साहेब साह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 31.01.2025	दिनांक 15.01.2025 को प्रतिवादीगण समन निर्गत किया जा चुका है परंतु प्रस्तुत वाद में आज दिनांक तक प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुऐ है। वादी की ओर से दिनांक 22.10.2024 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दाखिल किया गया है तथा दिनांक 06.12.2024 वादी के द्वारा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन देकर कहा गया है कि प्रस्तुत वाद की जानकारी प्रतिवादीगण को हो चुका है जिससे प्रतिवादीगण काफी सक्रिय हो गये है तथा कभी भी वादग्रस्त भूमि के निस्वत हस्तांतरण विलेख निष्पादित कर सके है। वादग्रस्त भूमि का सरंक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का परम कर्तव्य है कि वाद लबंन के दौरान वादग्रस्त भूमि का सरंक्षण न्यायालय करें। वादी की ओर से दिनांक 22.10.2024 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा आवेदन भी दाखिल किया गया है, जो अभी लंबित है तथा जिसका गुण–दोष के आधार पर निष्पादन किया जाना है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 06.12.2024 को स्वीकार करते हुये प्रतिवादीगण की उपस्थिति तक वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति (Status Quo) बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित निबंधन कार्यालय को आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजें। आगामी दिनांक 17.02.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	